

कासम वरु जगराम मा.पत्र 36/23
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 16/23

तारीख
हुक्म

24/02/25

तदुल्लाय करी डिन उपना मा.पत्र (12) पर उअय
पक्ष की सुना गया। वकील उअय पक्ष पत्रावली
में जारी अंतरिम आर्थाई निर्धारण दिनांक
02.06.2023 की रदन वय मुंतकिल की हटाई
हूये शेष की मूल वाद के निस्तारण तक
उन्फर्म विमा जाने में सहमत है।

अतः पत्रावली में जारी अंतरिम आर्थाई
निर्धारण दिनांक 02.06.2023 में सशोधन र
रदन वय मुंतकिल की हटाई शेष की मूल
वाद के निस्तारण तक उन्फर्म विमा जाता है।
पत्रावली फेचल शुमार दौकर नम्बर मै उम
दौकर सवंगन मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 की सरेजरास
सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)

सहायक कोलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज्ग